RESEARCH PAPER

RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
e-ISSN: 2455-3085 | Vol.06 | No.12 | December 2021 | pp. 130-133
Double-Blind Peer Reviewed/Refereed Journal

Indian Society and Women | भारतीय समाज व महिलाएं

*Dr. Anju

Assistant Professor, History Department, Gaur Brahman Degree College, Rohtak

Abstract in English

The condition of women had become very pathetic in ancient times, especially when the society changed from matriarchal to patriarchal society, since then women were marginalized and this is the reason that from ancient to modern times, women were treated as second-class citizens. being seen. In modern times, when India was independent, the situation had worsened further. Even after 73 years of independence, women are seen only as a responsibility and not as a complete citizen. In the traditional structure of Indian society, more emphasis is being given to women only to live under the protection of son, husband and father, whereas in the Indian Constitution, both men and women have been given equal rights. Even after getting equal rights, women are very backward socially, politically and economically. In Indian society, women are still being seen as a commodity, a commodity, and a toy for entertainment. Due to which today women are becoming victims of incidents of molestation, domestic violence, assault, rape etc. on a large scale. There is a dire need to change this attitude being adopted towards women so that women can also step towards paying attention to their overall development.

Keywords: *Feminism, liberalization, globalization, irony, constitution, scope, consumption, patriarchy*

Abstract in Hindi

प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी खासकर जब समाज मातृप्रधान से पितृसत्तात्मक समाज में परिवर्तित हुआ तभी से महिलाएं हाशिए पर चली गई और यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में ही देखा जा रहा है। आधुनिक काल में जब भारत परतंत्र था उस समय तो स्थिति ओर ज्यादा खराब हो गई थी ।आजादी के 73 वर्षों के बावजूद भी महिलाओं को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है न कि एक संपूर्ण नागरिक के रूप में। भारतीय समाज के परंपरागत ढांचे में केवल महिलाओं को पुत्र ,पति और पिता के संरक्षण में जीवन यापन करने पर अधिक बल दिया जा रहा है जबकि भारतीय संविधान में औरत और पुरुष दोनों को एक समान अधिकार दिए गए हैं । समान अधिकार मिलने के बाद भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से महिलाएं काफी पिछड़ी हुई है। भारतीय समाज में महिलाओं को आज भी एक वस्तु ,माल दिल बहलाने वाला खिलौना के रूप में ही देखा जा रहा है। जिसके कारण आज बड़े स्तर पर छेड़खानी ,घरेलू हिंसा, मारपीट बलात्कार इत्यादि की घटनाओं की महिलाएं शिकार हो रही हैं। महिलाओं के प्रति अपनाए जा रहे इस नजरिए नजरिए को बदलने की सख्त जरूरत है ताकि महिलाएं भी अपने संपूर्ण विकास की तरफ ध्यान देने की ओर कदम बढ़ा पाए।

मुख्य शब्द: *स्त्रीयोचित, उदारीकरण, वैश्वीकरण, विडंबना, संविधान, कार्यक्षेत्र, उपभोग, पितृसत्ता मुलगामी*

Article Publication

Published Online: 15-Dec-2021

***Author's Correspondence**

Dr. Anju

Assistant Professor, History Department, Gaur Brahman Degree College, Rohtak

kanju01@gmail.com

© 2021The Authors. Published by RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary.This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

प्रस्तावना

भारतीय समाज में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं के प्रति नजरिए में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता है क्योंकि उस समय भी महिलाओं को केवल एक जिम्मेवारी के रूप में देखा जाता था और आज भी।

प्राचीन काल से ही हमारे समाज में पुरुष की प्रधानता को स्वीकारा गया और महिलाओं को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में लिया गया। जिसके कारण महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अत्याचारों और भेदभाव को सहन करना पड़ रहा है। हमारे समाज की परंपरागत व्यवस्था में महिलाएं आजीवन पिता पति और पुत्र के संरक्षण में अपना जीवन यापन करती हैं। यही वजह है कि एक स्वतंत्र इंसान के रूप में तो महिलाओं को कभी देखा ही नहीं गया।

महिलाओं के प्रति सामाजिक नजरिया

आमतौर पर कहा जाता है कि पुरुषों की राय में महिलाओं का स्वाभाविक कार्यक्षेत्र एक पत्नी और मां का दायित्व निभाना है। मैंने "कहा जाता है" का इस्तेमाल इस रूप में किया जाता है कि अगर आज की सामाजिक संरचना के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो उनकी राय इससे विपरीत होगी। क्योंकि उन्हें इस बात पर संदेह है कि एक पत्नी और मां का दायित्व निभाना औरत की स्वाभाविक प्रकृति में है इसीलिए उनके अनुसार अगर महिलाओं को दूसरे कार्यक्षेत्र में जाने की आजादी मिल जाए तो बहुत कम महिलाएं ऐसी बचेगी जो अपने स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार पत्नी और मां की जिम्मेदारी निभाना पसंद करेंगी। इसलिए समाज के लिए अत्यंत जरूरी है कि औरतें विवाह करें और बच्चा पैदा करें। यही कारण है कि आज भी महिलाओं को कम से कम सुविधाएं अधिकार और उन्नति के अवसरों से वंचित रखा जा रहा है। परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है।

भारतीय संविधान में औरत और पुरुष दोनों को एक बराबरी का दर्जा एवं एक समान अधिकार दिए गए हैं परंतु समान अधिकार मिलने के बावजूद भी औरतें सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से पुरुषों से काफी पीछे हैं। आज भी महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है जो सामाजिक जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जिसे अधिकांश लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है। इस अधिकार का वास्तविकता में न होना भी महिलाओं के दोयम दर्जे का नागरिक होने की ओर इशारा करता है।

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति का उस समाज में महिलाओं की दशा देखकर आकंलन किया जा सकता है। यदि महिलाएं उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार होती हैं तो वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता।

महिलाओं के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवम् शैक्षणिक आदि सभी जिम्मेदारियां लाद दी गई हैं। जिसके कारण उन्हें अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता है क्योंकि महिला सारे समय कार्य करती है सातों दिन हर वक्त काम करती है और कठोर परिश्रम से कोई बचा नहीं करती है।

महिलाओं के विकास में शिक्षा का योगदान

महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनके योगदान को समाज यह मानकर चलता है कि परिवार की बेहतरीन और उसको बनाए रखने का उसका योगदान समाज परिवार के लिए उसकी चिंता, परिवार के सदस्यों का पालन पोषण और इन सब के लिए स्वंय को मिटा देने की प्रवृत्ति, प्राकृतिक और स्त्रियोचित का परिणाम है। महिलाओं के प्रति अपनाए जा रहे इस नजरिए को बदलने की सख्त जरूरत है, ताकि महिलाएं भी अपने संपूर्ण विकास की तरफ ध्यान देने की ओर कदम बढ़ा पाए।

इसके लिए सबसे पहला कदम शिक्षा का है क्योंकि शिक्षा हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। विश्व को समझने जानने, दूसरों से संवाद करने, देश–विदेश, आस–पड़ोस में क्या घट रहा है उसके बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा करती है। अशिक्षित होना एक कैद की जिंदगी जीने जैसा है। आर्थिक अवसर व रोजगार की संभावनाएं बहुत कुछ हमारे हुनर और शैक्षिक योग्यता पर निर्भर हैं। शिक्षा के बल पर ही सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी आवाज उठा सकती हैं। डी के कार्वे ने भी महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। इसी प्रकार स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारको ने भी प्राचीन भारत के मूल्यों यथा–पवित्रता एवं कर्तव्य के संदर्भ में नारी की स्थिति की दशा सुधारने का काम करने का प्रयास किया। प्राचीन काल में भी ऐसी विदुषी हुई है जिन्होंने अपनी विद्वता का लोहा मनवाया है जैसे अपाला, गोपा, मैत्रैयी, गार्गी इत्यादि।

हमारे समाज की यह विडंबना है कि आज महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जा रहा है और उपभोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने में बाजार की शक्तियों ने अपने हित साधे हैं। 1990 के बाद पर उदारीकरण और वैश्वीकरण के

दौर ने इसे और तीखा किया है। परिणामस्वरूप छेड़खानी, घरेलू हिंसा, मारपीट, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन हिंसा, अपहरण की घटनाओं में दिन–प्रतिदिन बढ़ोतरी ही हो रही है। उपरोक्त मामलों में न्याय प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी है। मानव विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार, 51 मिनट में छेड़खानी, 26 मिनट में बदसलूकी, 102 मिनट में दहेज के कारण हत्या और 40 प्रतिशत से अधिक महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छेड़खानी, अपहरण तथा 5 से 10 साल की मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार और बाद में उनकी निमर्म हत्या की घटनाएं एक महामारी के रूप में सामने आ रही है। बहुत से लोग इन घटनाओं को कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में देखते हैं, कुछ लोग अपराधियों के नैतिक पतन के रूप में, कुछ लोग संभ्रात परिवार के निजी हानि के रूप में देखते है। इन सभी बातों में सच्चाई का कुछ अंश है लेकिन वास्तविकता यह है कि स्त्रियों के प्रति बढ़ते अपराध और बच्चियों का यौन उत्पीड़न एक ऐसी व्यापक सामाजिक समस्या के रूप सामने आ गए है जिसमें आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक पक्ष भी हैं। यौन उत्पीड़न की समस्या और दहेज के लिए सताना और हत्या करना, शिशु भ्रूण हत्या, स्त्रियों के साथ भेदभाव और उनकी असमान स्थिति के बीच एक मुलगामी संबंध है।

हमारी प्राचीन परम्पराएं भी महिलाओं के प्रति हिंसा को उत्प्रेरित करती हैं। हमारी संस्कृति में पुत्र–रत्न की प्राप्ति एक सौभाग्य माना जाता है और प्रत्येक परिवार की इच्छा होती है कि उसकी बहू अपनी कोख से एक पुत्र को ही पैदा करे। यदि किसी महिला को बार–बार लडकी ही पैदा ही होती है तो सारे परिवा का कहर उस पर टूटने लगता है। जीवविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भ्रुण के सेक्स निर्धारण के लिए पिता जिम्मेदार हेाता है न कि माता। लेकिन इसका दोषी केवल महिला को माना जाता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं के साथ मार–पीट, घर से निकालने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बेटे की चााहत में स्त्री–भ्रुण की हत्या को बढावा मिल रहा है। गर्भ में स्त्री–भ्रुण की पहचान करके उसकी हत्या का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। शहर और कस्बों में छोटे–छोटे कमरों मे चलने वाले क्लीनिकों में इस धंधे को बड़ी चालाकी के साथ अजांम दिया जा रहा है।

भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में निर्धनता की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुशिकल होता है। जो लोग दो वक्त का खाना जुटा भी पाते हैं, उनके समक्ष जीवन की अनेक ऐसी अनिवार्यताएं मुंह बाए खड़ी होती हैं जिन्हें पूरा करना पोषाहार की तुलना में अधिक आवश्यक होता है। अतः हमारे देश की जनसंख्या का अधिकाशं भाग कुपोषण का शिकार है। यही कारण है कि लगभग 50 प्रतिशत लड़कियां व 20 प्रतिशत लड़के 1 से 5 वर्ष की आयु में ही कुपोषित हो जाते है।

महिलाओं के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट ही दर्ज हो रही है इसलिए उनके स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति नहीं है। 70 प्रतिशत के करीब महिलाओं में खून की कमी है। पर्याप्त पोषाहार न मिलने के कारण, ज्यादा परिश्रम का कार्य करने और पर्याप्त आराम न मिलने के कारण उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। यदि दलित और गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो उनकी ओर खराब हालत है। इन महिलाओं में एनीमिया की दर सामान्य महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा है।

सुझाव

1. महिलाओं को दयनीय स्थिति से बाहर निकालने के लिए समाज में महिलाओं के प्रति सोच को बदलना होगा।
2. महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों में समयबद्ध ढंग से उचित कार्यवाही करते हुए न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ करना होगा।
3. महिलाओं को भी संपूर्ण नागरिक का दर्जा देना होगा।
4. महिला शिक्षा को और मजबूती से लागू करना होगा।
5. महिलाओं के स्वास्थ्य में लगातार आ रही गिरावट को कम करने के लिए सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जाए।

संदर्भ सूची

1. डॉ. सियाराम, स्त्री विमर्श के विविध संदर्भ, ओमेगा प्रकाशन, दिल्ली, 2013
2. राम आहूजा, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002

3. गोविंद केलकर – इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन विमेन्स वर्क, पार्टिसिपेशन एंड सेक्स,सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली
4. नीरा देसाई, उषा ठक्कर, भारतीय समाज में महिलाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2009
5. सरला महेश्वरी, नारी प्रशन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1998
6. शुभा, हरियाणा में महिलाओं की स्थिति, सर्च–राज्य संसाधन केंद्र,हरियाणा(प्रकाशक) , 1996
7. शुभा, महिला विमर्श कुछ समसामयिक मुद्दे सर्च–राज्य संसाधन केंद्र, हरियाणा(प्रकाशक) 2001
8. जॉन स्टूअर्ट मिल, स्त्री और पराधीनता, संवाद प्रकाशन, मेरठ 2008
9. अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, 2वां राज्य सम्मेलन की प्रस्तावित रिपोर्ट, 25–26 जून, 1994, हिसार
10. एन यू रावत, महिला सुरक्षा एंव समाज, सत्यम पब्लिकेशन, जयपुर, 2013